01. अशोक कुमार पुत्र बनवारी,
02. झांवरमल पुत्र बनवारी समस्त जाति जाट निवासी चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
03. कैलाश कंवर पुत्री सवाई सिंह,
04. गोविन्द कंवर पुत्री सवाई सिंह,
05. ताज कंवर पत्नी स्व. नेनपाल सिंह उर्फ भंवर सिंह,
06. दुर्गा कंवर पुत्री स्व. नेनपाल सिंह उर्फ भंवर सिंह,
07. नरेन्द्र सिंह पुत्र रोहतास सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू हाल निवासी सूरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
08. पेमाराम पुत्र लोदूराम **(मृतक)**
    8/1. चंदगीराम पुत्र स्व. पेमाराम,
09. फूलाराम पुत्र बोदूराम **(मृतक)**
    9/1. गंगाराम पुत्र फूलाराम,
    9/2 रमेश पुत्र फूलाराम,
10. बख्तावर पुत्र बोदूराम **(मृतक)**
    10/1. प्रकाश चन्द पुत्र स्व. बख्तावर समस्त जाति जाट निवासीगण चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू हाल निवासी ढाणी गढावाली तन कोटड़ा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
11. भागचन्द पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी खोखरों वाली चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झनू।
12. भोमाराम पुत्र बोदूराम **(मृतक)**
    12/1. हरीसिंह पुत्र स्व. भोमाराम,
    12/2. ख्यालीराम पुत्र स्व. भोमाराम,
    12/3. सुरेश पुत्र स्व. भोमाराम, समस्त जाति जाट निवासीगण चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू हाल निवासी ढाणी गढावाली तन कोटडा तहसील नीमकाथाना जिला- सीकर।
13. मंजू कंवर पुत्र रोहिताश सिंह,
14. मूलसिह पुत्र सवाई सिंह,
15. युद्धवीर सिंह पुत्र धन्नसिंह **(मृतक)**
    15/1. जयसिंह पुत्र स्व. युद्धवीर सिंह,
    15/2. उम्मेद सिंह पुत्र स्व. युद्धवीर सिंह,
    15/3. प्रेमसिंह पुत्र स्व. युद्धवीर सिंह,
    15/4. लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व. युद्धवीर सिंह,
16. राजेन्द्र पुत्र रोहिताश सिंह **(मृतक)**
    16/1. लोकेन्द्र सिंह पुत्र स्व. राजेन्द्र सिंह,
    16/2. युद्धिष्टर सिंह पुत्र स्व. राजेन्द्र सिंह,
17. लक्ष्मी कंवर पुत्री नेनपाल सिंह उर्फ भंवर सिंह

**P.T.O.**

18. विजेन्द्र सिंह पुत्र रोहताश सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनु हाल निवासी सूरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
19. श्यामसिंह पुत्र बनवारी **(मृतक)**
    19/1. नीरज पुत्र स्व. श्यामसिंह, जाति जाट निवासी चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
20. श्योदयाल सिंह पुत्र धन्नसिंह,
21. श्योपाल सिंह पुत्र धन्नसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू हाल निवासी सूरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
22. श्योनाथ पुत्र बनवारी,
23. सुण्डाराम पुत्र बनवारी समस्त जाति जाट निवासीगण चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
24. सुर्दशन सिंह पुत्र नेनपाल सिंह,
25. सुरेन्द्र पुत्र रोहिताश सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू हाल निवासी सूरपुरा तहसील उदयपुराटी जिला झुन्झुनु।

——अपीलान्ट्स

**बनाम**

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राजस्थान।
02. ख्यालीराम,
03. गुरूयाल,
04. जयनारायण,
05. लक्ष्मीनारायण,
06. सरदाराराम,
07. छोटूराम पुत्रान मांगूराम,
08. भोमाराम,
09. रामनिवास, पुत्रान प्रभात
10. श्रवण देवी पत्नी प्रभात,
11. सजनादेवी पुत्री प्रभात,
12 अनिता पुत्री रामदेव,
13. जगदीश,
14. जयसिह,
15. तेजपाल,
16. लीलाधर पुत्रान रामदेव,
17. बिदामी देवी पत्नी रामदेव,
18. रामूराम पुत्र मोतीराम **(मृतक)**
    18/1. अमीलाल पुत्र स्व. रामूराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी ढोलड़ा ग्राम चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

——रेस्पोडेन्ट्स

**P.T.O.**

संभागीय आयुक्त
जयपुर

01. अशोक कुमार पुत्र बनवारी,
02. झांवरमल पुत्र बनवारी समस्त जाति जाट निवासी चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
03. कैलाश कंवर पुत्री सवाई सिंह,
04. गोविन्द कंवर पुत्री सवाई सिंह,
05. ताज कंवर पत्नी स्व. नेनपाल सिंह उर्फ भंवर सिंह,
06. दुर्गा कंवर पुत्री स्व. नेनपाल सिंह उर्फ भंवर सिंह,
07. नरेन्द्र सिंह पुत्र रोहतास सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू हाल निवासी सूरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
08. पेमाराम पुत्र लोदूराम **(मृतक)**
    8/1. चंदगीराम पुत्र स्व. पेमाराम,
09. फूलाराम पुत्र बोदूराम **(मृतक)**
    9/1. गंगाराम पुत्र फूलाराम,
    9/2 रमेश पुत्र फूलाराम,
10. बख्तावर पुत्र बोदूराम **(मृतक)**
    10/1. प्रकाश चन्द पुत्र स्व. बख्तावर समस्त जाति जाट निवासीगण चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू हाल निवासी ढाणी गढावाली तन कोटड़ा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
11. भागचन्द पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी खोखरों वाली चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झनू।
12. भोमाराम पुत्र बोदूराम **(मृतक)**
    12/1. हरीसिंह पुत्र स्व. भोमाराम,
    12/2. ख्यालीराम पुत्र स्व. भोमाराम,
    12/3. सुरेश पुत्र स्व. भोमाराम, समस्त जाति जाट निवासीगण चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू हाल निवासी ढाणी गढावाली तन कोटडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
13. मंजू कंवर पुत्र रोहिताश सिंह,
14. मूलसिह पुत्र सवाई सिंह,
15. युद्धवीर सिंह पुत्र धन्नसिंह **(मृतक)**
    15/1. जयसिंह पुत्र स्व. युद्धवीर सिंह,
    15/2. उम्मेद सिंह पुत्र स्व. युद्धवीर सिंह,
    15/3. प्रेमसिंह पुत्र स्व. युद्धवीर सिंह,
    15/4. लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व. युद्धवीर सिंह,
16. राजेन्द्र पुत्र रोहिताश सिंह **(मृतक)**
    16/1. लोकेन्द्र सिंह पुत्र स्व. राजेन्द्र सिंह,
    16/2. युद्धिष्टर सिंह पुत्र स्व. राजेन्द्र सिंह,
17. लक्ष्मी कंवर पुत्री नेनपाल सिंह उर्फ भंवर सिंह

**P.T.O.**

संभागीय आयुक्त

18. विजेन्द्र सिंह पुत्र रोहताश सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनु हाल निवासी सूरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
19. श्यामसिंह पुत्र बनवारी **(मृतक)**
    19/1. नीरज पुत्र स्व. श्यामसिंह, जाति जाट निवासी चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
20. श्योदयाल सिंह पुत्र धन्नसिंह,
21. श्योपाल सिंह पुत्र धन्नसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू हाल निवासी सूरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
22. श्योनाथ पुत्र बनवारी,
23. सुण्डाराम पुत्र बनवारी समस्त जाति जाट निवासीगण चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
24. सुर्दशन सिंह पुत्र नेनपाल सिंह,
25. सुरेन्द्र पुत्र रोहिताश सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू हाल निवासी सूरपुरा तहसील उदयपुराटी जिला झुन्झुनु।

——अपीलान्ट्स

**बनाम**

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राजस्थान।
02. ख्यालीराम,
03. गुरूयाल,
04. जयनारायण,
05. लक्ष्मीनारायण,
06. सरदाराराम,
07. छोटूराम पुत्रान मांगूराम,
08. भोमाराम,
09. रामनिवास, पुत्रान प्रभात
10. श्रवण देवी पत्नी प्रभात,
11. सजनादेवी पुत्री प्रभात,
12 अनिता पुत्री रामदेव,
13. जगदीश,
14. जयसिह,
15. तेजपाल,
16. लीलाधर पुत्रान रामदेव,
17. बिदामी देवी पत्नी रामदेव,
18. रामूराम पुत्र मोतीराम **(मृतक)**
    18/1. अमीलाल पुत्र स्व. रामूराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी ढोलड़ा ग्राम चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

——रेस्पोडेन्ट्स

**P.T.O.**

संभागीय आयुक्त

उपस्थितिः—

1. श्री राजेश रूहेला, एडवोकेट अपीलार्थीगण की ओर से
2. श्री श्यामबाबू पारीक एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 5,6,8,9,10,12,14,16,17,18/1 की ओर से

## निर्णय

दिनांकः 21.06.2023

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपीलें क्रमशः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.01.2020 एवं नामान्तरकरण संख्या 449 पर तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2020 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील एवं अपनी लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रक्रिया की पालना किये बिना ही तथा अपीलार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 287 लगायत 289, एवं 291 लगायत 295 कुल किता 8 कुल रकबा 4.15 हैक्टयर में से खसरा नम्बर 287, 291, 294, 295 भूमि जो वाके ग्राम जोधपुरा में स्थित है को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये गये जो न्यायिक प्रक्रिया एवं विधि के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि दिनांक 19.07.2020 को प्रत्यर्थीगण संख्या 2 लगायत 18 व पटवारी हल्का अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर आये और कहने लगे कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.2020 को अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 287, 291, 290, 294, व 295 में से गैर मुमकिन रास्ता निकाला गया है तथा उसका राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गया है जिसकी पालना में अपीलार्थीगण की भूमि में से मौके पर रास्ता निकाला जायेगा, उक्त जानकारी होने पर अपीलार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड व आदेश दिनांक 03.01.2020 की नकल का आवेदन दिनांक 20.07.2020 को प्रस्तुत किया गया जो नकल अपीलार्थीगण को उक्त दिवस को दे दी गई जिसके अवलोकन से अपीलार्थीगण की जानकारी में आया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 18 से साजकर अपनी ढाणी में रास्ता बनाने बाबत गलत तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्ताव कर व बिना अपीलार्थीगण को कोई नोटिस जारी किये दिनांक 26.12.2019 को पटवारी से मिलीभगत कर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर अपीलार्थीगण की भूमि में से गैर मुमकिन रास्त दर्ज करवाने का प्रस्ताव पारित करवा लिया तथा जिसकी पालना में दिनांक 03.01.2020 को को बिना नोटिस दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जो प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है चूँकि प्रत्यथी संख्या 1 द्वारा जो मौका रिर्पोट

दिनांक 26.12.2019 को हल्का पटवारी से तैयार करवायी गयी है वह रिपोर्ट बिना मौके पर गये ही प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 18 व हल्का पटवारी द्वारा साजकर तैयार की गई क्योंकि हल्का पटवारी अगर मौके पर जाता तो अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी संख्या 1 की उक्त कार्यवाही की जानकारी अवश्य होती जिससे साबित है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व प्रत्यथी संख्या 2 लगायत 18 द्वारा अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि में से कोई कदमि रास्ता नही होते हुऐ भी गलत रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव लेकर अधीनस्थ न्यायालय से अपीलार्थीगण की भूमि में से जो रास्ते बाबत राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया गया है वह पूर्णतः विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान सरकार बनाम युद्धवीर सिंह प्रकरण दर्ज किया गया उसमें युद्धवीर का देहान्त को आज से करीब 13 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा कानूनन मरे हुये व्यक्ति के खिलाफ कोई भी विधिक आदेश पारित नही किया जा सकता उसके उपरान्त भी अपीलाधीन आदेश पारित करवाया गया है जिससे साबित है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 18 द्वारा बदनियतिपूर्वक प्रस्ताव तैयार कर व अपीलार्थीगण को कोई सूचना दिये बिना उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करवाया जो न्यायिक प्रक्रिया एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि वास्तविक स्थिति यह है कि खसरा नम्बर 255 व 256 के मध्य कदमि रास्ता करीब 20 फीट गत 100 वर्षे से चला आ रहा है जिसका उपयोग प्रत्यर्थीगण संख्या 2 लगायत 18 द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि व ढाणी में आने–जाने के लिये करते चले आ रहे है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 18 को नये रास्ते की आवश्यकता ही नही थी। मात्र अपीलार्थीगण को बेजा पेरशान व हैरान करने की गरज से प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 18 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से साजकर के अपीलार्थीगण की भूमि में से रास्ता निकलवाने व राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अवैधानिक कृत्य किया है जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जो कार्यवाही की गई वह विधि विरूद्ध चूँकि किसी खातेदार के पास अपनी कृषि भूमि में आने–जाने के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नही है तो कोई भी काश्तकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सकता है जिस बाबत प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 18 द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 18 के पास पूर्व में ही अपनी खातेदारी की भूमि व आबादी भूमि में आने–जाने के लिये 20 फीट का रास्ता उपलब्ध है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि हल्का पटवारी द्वारा बिना मौके पर गये दिनांक 26.12.2019 को फर्द मौका तैयार किया गया जो उक्त

**P.T.O.**

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रिपोर्ट पर कराये गये हस्ताक्षरों से साबित है, क्योंकि अगर हल्का पटवारी मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करता तो उस पर अपीलार्थीगण की आपत्ति दर्ज होती या यह अंकन होता की अपीलार्थीगण ने हस्ताक्षर करने से मना किया है किन्तु उक्त रिपोर्ट पर अपीलार्थीगण के बाबत कुछ भी अंकित नही है जिससे साबित है कि अपीलार्थीगण के विधिक व सम्पत्तिक अधिकारों पर कुठाराघात करने की गरज से उक्त रिपोर्ट दिनांक 26.12.2019 तैयार की गई जो विधि विरूद्ध है तथा उक्त रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाये व मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया जो न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की दोनों अपीलें एवं लिखित बहस के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थीगण की दोनों अपीले स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.01.2020 एवं नामान्तरकरण संख्या 499 वाके चक जोधपुरा पर तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2020 को आस्त किये जाने के आदेश पारित करने की महती कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है क आराजी खसरा नम्बर 287, 291, 290, 294, 295 में मौके पर उक्त खसरा नम्बर में से ढाणी खोखरों की व ढाणी ढोलडा में रास्ता जाता है जो बाहरमासी कदिमी रास्ता है और कई वर्षो से चालू हालत में है जिसके सम्बन्ध में ग्रामवासीयों की उपस्थित में फर्द मौका तैयार कर उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन का आदेश प्रस्ताव रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये है जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने के पश्चात् ही अपीलाधी आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत है एवं उक्त अपीलाधीन आदेश की पालना में तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 28.02.2020 को नामान्तरकरण संख्या 499 स्वीकार भी किया जा चुका है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बाहरमासी रास्तों को राजस्व रिकार्ड में किये जाने की पालना में किये गये है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपीलार्थीगण की दोनों अपीलें खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है तथा अपीलार्थीगण प्रकरण में प्रभावित पक्षकार होने से उनका प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी.भी

**P.T.O.**

माननीय आयुक्त
जयपुर

स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसर बाहरमासी रास्तों का अंकन राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बन्ध में चक जोधपुरा के ग्रामवासियों की उपस्थिति में खसरा नम्बर 287, 291, 290, 294, 295 में से होकर मुख्य सडक से ढाणी खोखरों की व ढाणी ढोलडा में कई वर्षो से चालू बारहमासी रास्ते के रूप में काश्तकारों द्वारा काम में लिया जा रहा है जिस तथ्य को तहसीलदार द्वारा भी अपने जवाब में स्वीकार किया गया है तथा तहसीलदार के जवाब के अनुसार चक जोधपुरा के भूमि खरा नम्बर 718/294, 720/295, 712/287, 716/291, 714/290, 708/263, 710/286 कुल किता 7 किस्म गैर मु. रास्ता से होकर गुजरने वाला कटानशुदा रास्ता दोनों ढाणियों खोखरा वाली व ढाणी ढोलड़ा के किये उपयोग व न्यूनत्तम दूरी का रास्ता व दोनों ढाणियों के लिये एकमात्र उपयोगी रास्ता बताया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की दोनों अपीलें खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.01.2020 एवं नामान्तरकरण संख्या 499 वाके ग्राम चक जोधपुरा पर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2020 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

21/6/23
संभागीय आयुक्त,
जयपुर